कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं. पेंशन/सुप्रीमकोर्ट/निर्णय/एचपीएम/2022/पार्ट दिनांक: 04.05.2023

सेवा में,

सभी अपर के.भ. नि. आयुक्त, आंचलिक कार्यालय
सभी क्षे.भ.नि.आयुक्त/प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और क.पें.यो., 1995 के संबंध में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के कुछ प्रावधानों को प्रभावी करने के संबंध में।

महोदया / महोदय,

कृपया भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2060(ई) दिनांक 3 मई 2023 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और क.पें.यो, 1995 के संबंध में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के निम्नलिखित प्रावधानों को अधिसूचित किया गया है:

(i) धारा 15 की उपधारा (3), जहां तक यह कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 से संबंधित है;

(ii) धारा 16 की उपधारा (1) का खंड (ए), जहां तक यह कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 से संबंधित है;

(iii) धारा 16 की उपधारा (1) का खंड (बी);

(iv) धारा 16 की उपधारा (2), जहां तक यह कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 से संबंधित है;

(v) धारा 143, जहां तक यह कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के संबंध में धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (ii) के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए लागू होती है ;

(vi) धारा 164 की उप-धारा (1) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के मद 3 में निर्दिष्ट संबंधित प्रावधानों को निरस्त करने के लिए; और

(vii) धारा 164 की उपधारा (2) का खंड (बी) जहां तक यह कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 से संबंधित है ।

3. उक्त संहिता के उपर्युक्त प्रावधान 03 मई, 2023 को लागू होंगे ।

(यह अपर केंद्रीय आयुक्त-मुख्यालय (पेंशन) के अनुमोदन से जारी)

भवदीया,

ह./-
(अपराजिता जग्गी)
क्षेत्रीय भ° नि° आयुक्त-I (पेंशन)

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव ।
2. वित्तीय एवं मुख्य लेखाधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, निदेशक (पीडीनास) और सभी आं.प्र.सं.
3. मुख्यालय के सभी अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्यालय) और अपर केन्द्रीय आयुक्त